न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 27/2019

1. नत्थूराम
2. हंसराज
3. हरचंद
4. सुरेन्द्र कुमार
5. दलीप कुमार
6. भागीरथ

पिसरान रामकरण जातियान बिश्नोई निवासी 34 जी जी तहसील व व जिला श्रीगंगानगर। —अपीलांट्स

बनाम

1. बलदेव सिंह
2. मलकीत सिंह

पिसरान वरियाम सिंह जाति रामगढिया निवासी मम्मडखेडा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

3. सुखदेव कौर पत्नी जगमेल सिंह पुत्री वरियाम सिंह जाति रामगढिया निवासी 10 चक तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. महेन्द्र कौर उर्फ सुखविन्द्र कौर पत्नी मुख्त्यारसिंह पुत्री वरियाम सिंह जाति रामगढिया निवासी गांव रोटांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. राजकौर पत्नी सुखपाल सिंह पुत्री वरियाम सिंह जाति रामगढिया निवासी लूणियां तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि.1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

निर्णय दिनांक 11.02.2019

उपस्थिति—

श्री जीतपाल सिंह सैनी अभिभाषक अपीलांट

श्री वरियाम सिंह स्वयं

श्री महावीर धारणीयां राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—4-7-2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के समक्ष एक वाद राज.काश्तकारी अधिनियम की

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

धारा 88, 53, 188 के तहत पेश किया। वादीगण ने दावे में कथन किया कि वाद की मद 'क' से 'च' अनुसार दावा डिग्री किया जावे।

(A) अधी. न्यायालय के आदेश दिनांक 08.10.15 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी सं. 42/2016 बअनवान नत्थूराम व अन्य बनाम बलदेव सिंह व अन्य दिनांक 23.08.2016 को खारिज हुई।

(B) अधी. न्यायालय ने दिनांक 26.12.2017 को वादपत्र स्वीकार कर वादीगण को चक 34 जी.जी. के खाता सं. 37/22 मु.नं.70 किला.नं. 1 से 10 (2.530)है0 कि.नं. 15(0.127)है0कुल 2.656है0 कृषि में मृतका बचनकौर के नाम पर दर्ज 1/5 हिस्सा का प्रत्येक 5/6 हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार घोषित कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाने के आदेश दिये।

(C) उक्त आदेश के विरूद्ध सुरेन्द्र कुमार ने इस न्यायालय में अपील सं. 3/2018 बअनवान सुरेन्द्र कुमार बनाम बलदेव सिंह आदि पेश की। उक्त अपील इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2018 द्वारा खारिज कर दी गई।

(D) इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध सुरेन्द्र कुमार ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील सं. 1472/2018 बअनवान सुरेन्द्र कुमार बनाम बलदेव सिंह आदि पेश की। माननीय मण्डल द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.01.2019 को सुरेन्द्र कुमार की उक्त अपील को खारिज करते हुए इस न्यायालय के निर्णय एवं अधी. न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा।

(E) माननीय मण्डल से पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत अधी. न्यायालय ने दिनांक 11.02.2019 को तहसीलदार के विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद स्वीकार तथा वादीगण बलदेव सिंह आदि को चक 34 जी.जी. के मु. नं. 70 कि.नं. 4/2(0.025), कि.नं. 5(0.253)जिसमें 0.228 नहरी एवं 0.025है0खाला, कि.नं. 6/1(0.228), कि.नं.7/1(0.025)है0 कुल 0.531है0 कृषि भूमि मय खाला ब.हि.ब. एवं दलीप कुमार , नत्थूराम , हंसराज, सुरेन्द्र कुमार , भागीरथ , रामकरण को चक 34 जी.जी. के मु.नं. 70 के कि.नं. 1 से 3(0.759), 4/1(0.228), 6/2(0.025), 7/2(0.228), 8 व 9(0.

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

506), 10(0.252), 15/1(0.127) कुल 2.125है0 नहरी कृषि भूमि व खाला ब.हि.ब. का खातेदार घोषित कर अन्तिम डिक्री जारी की।

(F) अधी. न्यायालय ने दिनांक 22.02.2019 से निर्णय दिनांक 11.02.2019 में आंशिक संशोधन करते हुए लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त करते हुए तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार दलीप कुमार, नत्थूराम, हसंराज, हरचंद, सुरेन्द्र कुमार , भागीरथ हर छः हिस्सा बराबर चक 34 जी.जी.के मु.नं. 70 के कि.नं. 1 ता 3(0.759), कि.नं. 4/1(0.228), कि.नं. 6/2(0.025), 7/2(0.228), 8 व 9 (0.506), 10(0.252), 15/1(0.127) कुल 2.125है0 नहरी कृषि भूमि व खाला ब0ि0ब0 खातेदार घोषित करने के आदेश दिये एवं आदेश में यह भी अंकित किया कि उक्त संशोधन निर्णय दिनांक 11.02.2019 एवं डिक्री दिनांक 11.02.2019 का भाग रहेगा।

(G) अपीलांट द्वारा निर्णय व डिक्री 11.02.2019 से व्यथीत होकर यह अपील पेश की है।

2. बहस सुनी गई।

(A) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की बहस सुने बिना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ जाकर किया गया है। प्राथमिक डिक्री में दिये गये निर्देशों की पालना तहसीलदार ने नहीं की है। विभाजन प्रस्ताव पटवारी ने तैयार किया है तहसीलदार स्वयं ने तैयार नहीं किया है। वादीगण/रेस्पों. ने अपने वादपत्र में अपने कब्जा काश्त में मु.नं. 71 के कि.नं. 5, 6, 15 की कुल 2.02 बीघा भूमि का कथन किया है। जबकि मातहत न्यायालय ने प्रतिवादीगण को मु.नं. 70 के कि.नं. 4/2, 5, 6/1, , 7/1 कुल 0.531है0 भूमि दी है। ऐसी स्थिति में बंटवारा सही नहीं किया गया है।

वादीगण ने पटवारी से मिलकर उनके फायदे के अनुसार अच्छी से अच्छी भूमि वादीगण को दे दी है। विभाजन प्रस्ताव राज.काश्त.(राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना नहीं की है। अधी. न्यायालय ने मु.नं. 70 का कि.नं. 15/1 में 0.127है0 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

दिया गया जबकि कि.नं. 6 वादीगण को दिया गया है। अपीलांट को कि.नं. 15/1 में जाने के लिए रास्ता भी नहीं है तथा कि.नं. 15/1 का टुकडा अलग से दिया गया है जो राजस्व मण्डल के नियमों के खिलाफ है। अतः निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी 2017(1) पेज 689 के न्यायिक दृष्टांत का हवाला दिया।

(B) वरियाम सिंह ने अपनी बहस में कहा कि अधी. न्यायालय ने जो निर्णय किया है वह सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(a) हमने पत्रावली, अधी. न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिकी व अंतिम डिकी व पक्षकारों की बहस एवं पक्षकारों की कब्जे शुदा भूमि के अनुरूप राजस्व रिकार्ड एवं तहसील प्रस्ताव तथा नक्शा मौका वादीगण के हिस्से के अनुसार है का अवलोकन किया। अपीलांट का बहस में कोई विशेष कथन नहीं है सिवाय तकनीकि आक्षेप के। मामले में वादी गरीब , वृद्ध , असहाय एवं छोटा सीमांत काश्तकार है एवं मौके पर अपनी हिस्से की भूमि पर काबिज है एवं लम्बे सयम से अपने हिस्से को स्पष्ट करवाने व अलग करवाने हेतु लम्बे समय से प्रयासरत है व न्यायालयों के चक्कर काट रहा है।

अधी. न्यायालय ने अपने विस्तृत निर्णय तनकीवार प्रतिपादन करते हुए सही रूप से पारित किया है। उसमें मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के मध्यनजर केवल तकनीकि आधारों पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते। अपील निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 4-7-2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर(राज.)